

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक.....B/702/

जबलपुर, दिनांक ०१/०२/२०२३.

श्रीमती रामबेटी रजक, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश सेवा (भर्ती, सेवा की सामान्य शर्तें, आचरण, वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 2017 का नियम 8(6) के अंतर्गत उनके द्वारा धारित स्थानापन्न पद पर दिनांक 27-01-2023 से संबंधित काडर में स्थायी किया जाता है।

(रामकुमार चौबे)

₹ रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/703/

जबलपुर, दिनांक ०१/०२/२०२३

प्रतिलिपि :-

1. प्रिसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,
2. रजिस्ट्रार, प्रशासन / कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
4. ओ.एस.डी. (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. डिप्टी कंट्रोलर एकाउंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. अनुभाग अधिकारी, स्था. / लेखा / बजट / पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
8. सहायक स्थापना / लेखा / बजट / सेवा पुस्तिका / वेतन निर्धारण, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. श्रीमती रामबेटी रजक, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(विकास चन्द्र मिश्रा)

₹ रजिस्ट्रार (प्रशा.)